UPSMA
UP SUGAR MILLS ASSOCIATION

वार्ता
The Dialogue

1903 से सतत् प्रगति पथ पर अग्रसर
120 वर्ष
चीनी उद्योग की गौरवमयी यात्रा का महोत्सव

FEBRUARY, 2024 | Monthly Newsletter of UPSMA | VOL:II, ISSUE: 202

NEWSMAKERS

UP RAISES STATE PRICE FOR SUGARCANE BY RS. 20/ QUINTAL FOR 2023-24 SEASON

With national elections round the corner, the Uttar Pradesh (UP) government has raised the state advised price (SAP) of all sugarcane varieties by Rs 20 per quintal for the 2023-24 (October 2023-September 2024) season to Rs 370 for early-sown varieties.

UP is one of India's largest sugarcane-producing states in the country and has most private sugar mills in India. Of the total 120 sugar mills in UP, the private sector leads with 93 plants, followed by the cooperative sector with 24 units and UP State Sugar Corporation (UPSSC) with three.

Girishkumar Kadam, senior vice-president and group head — corporate ratings, ICRA Limited, said this increase is in line with the industry expectations. It will result in an increase of sugar production cost by Rs 1.7/kg, he added. ICRA expects the ytilibatfiorpof sugar mills in UP to remain comfortable, given the pu-demrfidomestic sugar prices. They traded at Rs 38-38.5/kg as of December 2023, he said.

Nearly 5 million farm households are directly associated with sugarcane farming in UP and cane byproducts. These include sugar, ethanol and molasses, among others, generating nearly Rs 50,000 crore for the state.

With the latest hike, SAP for sugarcane increased from Rs 350 per quintal to Rs 370 for early maturing varieties; from Rs 340 to Rs 360 for common varieties and from Rs 335 to Rs 355 for late maturing or unsuitable sugarcane varieties, said a senior government .laicfifo

UP sugarcane payments during the current crushing season 2023-24 are expected to top Rs 36,000 crore. Last year, sugar production stood at nearly 10.7 million tonnes (MT).

Source: Business Standard, 18th January, 2024

COUNTRY ACHIEVES 10.77 PER CENT ETHANOL BLENDING PERCENTAGE AS ON JANUARY 7, 2024

India has achieved 10.77 per cent ethanol blending as on 7th January 2024. As per the sources, the sugar-based feedstock has supplied a total quantity of 49.28 cr ltrs of ethanol as on 7th January 2024, against the contracted amount of 121.35 cr ltrs in the current ethanol supply season of 2023-24, which began from 1st November 2023.

Ethanol supplied from Sugarcane Juice is 31.36 cr ltrs vs the contracted amount of 45.15 cr ltrs in the period. Ethanol supplied from B-Heavy molasses is 16.39 cr ltrs compared to the contracted amount of 73.43 cr ltrs, and ethanol supplied from C-Heavy molasses is 1.53 cr ltrs against 2.78 cr ltrs of the contracted amount.

The total ethanol supplied from both molasses-based distilleries and grain-based distilleries are 73.62 cr ltrs as against the total contracted amount of 266.76 cr ltrs.

Source: chinimandi.com, 18th January, 2024

2023-24 SUGAR SEASON: ISMA'S SECOND ADVANCE ESTIMATE OF SUGAR PRODUCTION

Indian Sugar & Bio-energy Manufacturers Association (ISMA) has released the second advance estimates production for 2023-24 sugar season.

Government has so far allowed sugar diversion of only 17 lac tons for production of ethanol via sugarcane juice / B heavy molasses for 2023-24 ESY. This would mean net sugar production could be around 313.5 lac tons.

Considering an opening stock of about 56 lac tons on 1st October 2023, domestic consumption of 285 lac tons and the estimated production of 313.5 lac tons, a comfortable closing stocks of around 84.5 lac tons can be expected as on 30th September, 2024.

Continued on the next page ...

Office: 403 - Chintels House, 16-Station Road, Lucknow-226001 | **Phone**: +91-522-2635127, 2636482 | **E-mail:** upsma@upsma.org | **Visit us at:** www.upsma.org

UPSMA
UP SUGAR MILLS ASSOCIATION

वार्ता
The Dialogue

1903 से सतत् प्रगति पथ पर अग्रसर
120 वर्ष
चीनी उद्योग की गौरवमयी यात्रा का महोत्सव

FEBRUARY, 2024 | Monthly Newsletter of UPSMA | VOL:II, ISSUE: 202

We believe that Government may now easily allow around 18 lac tons of additional sugar diversion for production of ethanol in the current ESY. Even then closing stock will be sufficient enough to cater around 3 months into next season.

Meanwhile, 187.2 lac tons of sugar has been produced till 31st January' 2024 against around 195 lac tons produced last year on the corresponding date. However, this year around 520 factories are operating against 517 factories which operated last year.

Source: chinimandi.com, 31st January, 2024

शुगर इंडस्ट्री ने एथेनॉल के लिए 10 -12 लाख टन अतिरिक्त चीनी डायवर्जन की मांग की

गन्ने के जूस से एथेनॉल उत्पादन पर पाबंदी लगने के बाद शुगर इंडस्ट्री सरकार से लगातार रियायतें मांग रही है। चीनी मिलों के संगठन इस्मा (ISMA) ने सरकार से एथेनॉल उत्पादन के लिए चालू सीजन में 10 -12 लाख टन अतिरिक्त चीनी के डायवर्जन की अनुमति देने का अनुरोध किया है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में मौसम की गड़बड़ी के कारण चीनी उत्पादन में संभावित गिरावट को देखते हुए सरकार ने चालू सीजन 2023 -24 (अक्टूबर- सितंबर) में एथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी डायवर्जन को 17 लाख टन तक सीमित किया है।

इस्मा का कहना है कि चालू सीजन में 15 जनवरी तक मिलों ने 149.52 लाख टन चीनी का उत्पादन किया है, जो एक साल पहले की अवधि में हुए 157.87 लाख टन चीनी उत्पादन से 5.28 फीसदी कम है। हालिया मौसम गन्ने की खड़ी फसल के लिए अनुकूल रहा है और उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे प्रमुख राज्यों ने चालू सीजन के लिए अपने चीनी उत्पादन अनुमानों में 5 -10 तक संशोधन किया है।

इस्मा का कहना है कि एथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी की अनुमति देने के बाद भी, शेष सीजन में अगले कुछ महीनों के लिए पर्याप्त चीनी होगी। इस्मा ने चालू आपूर्ति वर्ष के लिए गन्ने के रस और बी - हैवी मोलासेज से बने एथेनॉल की खरीद लागत में बढ़ोत्तरी की मांग भी की है।

Source: ruralvoice.in, 24th January, 2024

सरकार ने शीरे पर 50 प्रतिशत निर्यात शुल्क लगाया, इथेनॉल इंडस्ट्री को होगा फायदा

केंद्र सरकार ने इथेनॉल इंडस्ट्री को एक और रहत देते हुए शीरे (मोलासेज) पर 50 प्रतिशत निर्यात शुल्क लगा दिया है। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, यह आदेश 18 जनवरी से लागू होगा। सरकार के इस कदम से शीरे के निर्यात पर अंकुश लगेगा और इथेनॉल उत्पादन के लिए शीरे की उपलब्धता बढ़ सकेगी। इससे सरकार को इथेनॉल मिश्रण के लक्ष्य को पूरा करने में मदद मिलेगी।

हर साल लगभग 15 -16 लाख टन शीरे का निर्यात किया जाता है, जो उत्पादित शीरे की कुल माला का लगभग 10 % है। भारत मुख्यता वियतनाम, दक्षिण कोरिया, नीदरलैंड और फिलीपींस सहित देशों को शीरे का निर्यात करता है। चीनी उत्पादन में गिरावट की आशंका को देखते हुए पिछले महीने केंद्र सरकार ने इथेनॉल उत्पादन के लिए गन्ने के रस के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया था। सरकार चीनी मिलों को इथेनॉल उत्पादन के लिए अधिकतम सी हेवी मोलासेज का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है।

Source: ruralvoice.in, 16th January, 2024

चीनी उत्पादन में 10 फ़ीसदी गिरावट का अनुमान, यूपी होगा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक

चालू पेराई सीजन 2024 -25 में देश का चीनी उत्पादन गत वर्ष के मुकाबले 10 फीसदी घटकर 330.5 लाख टन रहने का अनुमान है। गन्ने की फसल पर मौसम की मार के चलते प्रमुख चीनी उत्पादक राज्यों महाराष्ट्र और कर्नाटक के उत्पादन में गिरावट के कारण यह कमी आ सकती है। उत्पादन में गिरावट के बावजूद शुगर इंडस्ट्री का मानना है कि देश में पर्याप्त चीनी स्टॉक रहेगा।

शुगर इंडस्ट्री के संगठन इस्मा ने वर्ष 2023 -24 (अक्टूबर - सितम्बर) के लिए चीनी उत्पादन का अपना दूसरा अग्रिम अनुमान जारी किया है। इस दौरान देश में कुल 330.5 लाख टन चीनी उत्पादन का अनुमान है, जो पिछले वर्ष 366.2 लाख टन था। इस्मा के अनुसार, महाराष्ट्र में चीनी उत्पादन 118.5 लाख टन से घटकर 99.9 लाख टन रहेगा। जबकि कर्नाटक का चीनी उत्पादन 65.8 लाख टन से घटकर 49 .7 लाख टन रह सकता है । हालाँकि, इस साल उत्तर प्रदेश का चीनी उत्पादन 118.9 लाख टन से बढ़कर 119.9 लाख टन होने की उम्मीद है। यूपी इस बार देश का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य होगा।

Source: ruralvoice.in, 31st January, 2024

Water Conservation: जल संकट में देश 2047 तक कैसे बनेगा विकसित राष्ट्र, जल संरक्षण क्यों है बेहद जरूरी ?

बजट के दौरान वितमंत्री ने निर्मला सीतारमण ने कहा कि अपने देश को साल 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाएंगे, मगर विकसित राष्ट्र बनाने के लिए प्राकृतिक स्रोत की उपलब्धता और उसका बेहतर उपयोग करके ही हम विकसित राष्ट्र की कल्पना कर सकते हैं। एक अनुमान के अनुसार, अपने देश की जनसंख्या साल 2050 में 164 करोड़ पहुंच जाएगी। प्राकृतिक संसाधनों में देश और जीवन को सहारा देने के लिए जल सबसे अहम है। भारत की बढ़ती जनसंख्या के साथ इसके सर्वांगीण विकास के साथ-साथ पानी का उपयोग भी तेजी से बढ़ रहा है। किसी भी देश के विकास में किसी चीज की माला और निर्माण को बढ़ाने में और पूंजीगत जरूरतों को पूरा करने

Continued on the next page ...

Office: 403 - Chintels House, 16-Station Road, Lucknow-226001 | Phone: +91-522-2635127, 2636482 | E-mail: upsma@upsma.org | Visit us at: www.upsma.org

UPSMA
UP SUGAR MILLS ASSOCIATION

वार्ता
The Dialogue

1903 से सतत् प्रगति पथ पर अग्रसर
120 वर्ष
चीनी उद्योग की गौरवमयी यात्रा का महोत्सव

FEBRUARY, 2024 | Monthly Newsletter of UPSMA | VOL:II, ISSUE: 202

में पानी का अहम रोल है। इसके लिए जरूरी है वर्षा जल का संचयन और जल-संरक्षण उपायों को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

भोतकी अनुसंधान प्रयोगशाला के वैज्ञानिको मुताबिक के मौजूदा वक्त में में हमारे देश में प्रति वर्ष 500 घन वर्ग किलोमीटर उपयोगी जल की उपलब्धता है, जबकि साल 2050 में 1450 घन वर्ग किलोमीटर उपयोगी जल की जरूरत पड़ेग यानि हमें लगभग तीन गुना जल संचयन की जरूरत पड़ेगी और तब हम विकसित राष्ट्र की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं।

केंद्रीय जल आयोग द्वारा आयोजित अंतरिक्ष इनपुट का उपयोग करके भारत में जल उपलब्धता का पुनर्मूल्यांकन, अध्ययन के आधार पर वर्ष 2021 में प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता क्रमशः1486 घन मीटर है। इस तरह जल उपलब्धता कम होती जा रही है,जो 2050 के लिए औसत 1140 घन मीटर आंकी गई है। जब प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता 1700 घन मीटर प्रतिवर्ष से कम हो जाती है, तो पानी के लिए तनाव की स्थिति कही जाती है। जब प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता 1000 घन मीटर प्रतिवर्ष से कम हो जाती है, तो अभाव की स्थिति कही जाती है।

देश में राष्ट्रीय जल आकदमी के अनुसार सलाना देश में वर्षा और बर्फबारी से 4000 अरब घन मीटर पानी प्राप्त होता है। साल 2023 की आकलन रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश के लिए कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण 449.08 अरब घन मीटर है। यानि हमें जितना बारिश जल प्राप्त हो रहा है, उसका 11 फीसदी जल हम संरक्षित कर पा रहे हैं और शेष पानी नाली नदियों से बहकर समुद्र में चला जा रहा है।

अपने देश में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता लगातार घट रही है। इसे आंकड़े से आप ऐसे समझ सकते हैं कि 1951 में जहां एक व्यक्ति के लिए जल की उपलब्धता 5000 घन मीटर से ज्यादा थी, वो 2001 तक घटकर महज 1,816 रह गई है। आगे 2011 में ये और घटी और 1545 घन मीटर हो गई थी. 2021 में सालाना प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता 1486 घन मीटर थी। मीठे पानी की उपलब्धता इतनी कम हो जाने का मतलब है कि पीने के पानी से लेकर दूसरे दैनिक उपयोग तक के लिए इसकी भारी कमी होगी। ऐसे में भला खेतों की सिंचाई कैसे हो पाएगी और उसके अभाव में उपज कैसे होगी ?

दुनिया भर में मीठे जल का 80 प्रतिशत से ज्यादा इस्तेमाल खेती में होता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि आज के दौर में भूमि कृषि की समृद्धि के लिए जल संरक्षण की भूमिका काफी अहम है। अगर हम इसे आंकड़ों के रूप में देखें, तो एक लीटर गाय के दूध के उत्पादन के लिए 800 लीटर पानी की जरूरत होती है। एक किलो गेहूं की उपज के लिए 1,000 लीटर और एक किलो चावल की उपज के लिए 4,000 लीटर पानी की जरूरत होती है।

किसानों को जागरूक करने के लिए संगठनों और स्थानीय समुदायों को सहयोग करने के लिए भी कदम उठाया जा सकता है। उन्हें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि जल संरक्षण सिर्फ उनके लिए ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी फायदेमंद है। इस तरह, किसानों को जल संरक्षण में एक अहम भूमिका देना न केवल उनके लिए, बल्कि समृद्धि और जल संरक्षण के सामाजिक लाभ के लिए भी अहम है।

पूरी खबर किसान तक न्यूज़ पोर्टल पर पढ़ी जा सकती है।

Source: kisantak.in, 3rd February, 2024

"उत्तर प्रदेश में गन्ने की पैदावार और किसानों की आय में सुधार" विषय पर प्रस्तुतीकरण

उत्तर प्रदेश शुगर मिल्स एसोसिएशन (यूपीएसएमए) द्वारा समय समय पर गन्ना किसान भाइयों की उन्नति हेतु, गन्ना विभाग और सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाता रहा है जिससे सम्मिलित प्रयासों से गन्ने की खेती में उन्नत तकनीकों का प्रयोग करते हुए गन्ने की पैदावार में बढ़ोत्तरी तथा इसके फलस्वरूप गन्ना किसानों की आय में निरन्तर वृद्धि हो सके।

इसी क्रम में दिनांक 5 फरवरी 2024 को यूपीएसएमए का एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधि मंडल जिसमें गन्ना विशेषज्ञ भी शामिल थे, अध्यक्ष श्री आर. एल. तामक के नेतृत्व में गन्ना आयुक्त एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के सम्मुख "उत्तर प्रदेश में गन्ने की पैदावार और किसानों की आय में सुधार" विषय पर अध्यक्ष श्री रोशन लाल तामक द्वारा एक विस्तृत प्रस्तुतीकरण किया गया तथा उद्योग द्वारा गन्ना किसान हित में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से गन्ना विभाग से अपेक्षित सहयोग पर प्रकाश डाला गया।

बैठक की अध्यक्षता कर रहे गन्ना आयुक्त (उत्तर प्रदेश) ने प्रस्तुतीकरण में रूचि लेते हुए कुछ विषयों पर स्पष्टीकरण लिया साथ ही गन्ना विभाग के पूरे सहयोग तथा सकारात्मक नीतिगत निर्णयों पर विचार करने का आश्वासन दिया।

Legal Update

- Litigation in the matter of imposition of VAT on ENA, State of U.P. vs UPSMA listed before the Hon'ble Supreme Court is likely to be heard on 6th March, 2024.
- Case regarding Regulatory Fees (WRIC-1150 of 2024), UPSMA vs State of U.P., listed before the Hon'ble Allahabad High Court, Lucknow bench is to be heard on 22nd February, 2024.

Sugar Shots

It is not surprising to say that sugar makes us happy. It triggers a rush of dopamine in our brain, which results in an immediate joyful mood.

PTO...

Office: 403 - Chintels House, 16-Station Road, Lucknow-226001 | **Phone**: +91-522-2635127, 2636482 | **E-mail:** upsma@upsma.org | **Visit us at:** www.upsma.org

UPSMA
UP SUGAR MILLS ASSOCIATION

वार्ता
The Dialogue

1903 से सतत् प्रगति पथ पर अग्रसर
120 वर्ष
चीनी उद्योग की गौरवमयी यात्रा का महोत्सव

FEBRUARY, 2024 | Monthly Newsletter of UPSMA | VOL:II, ISSUE: 202

VIEW POINT

The Occupational Safety, Health and Working Conditions Code 2020 repeals the Factories Act 1948 and some other Acts

The Occupational Safety, Health and Working Conditions Code 2020, an Act of Parliament (No. 37 of 2020) notified on 28-09-2020 by the Central Government has consolidated and amended existing laws regulating the occupational safety, health and working conditions of the persons employed in an establishment and for connected matters.

It has been provided in Section 2(1) that the Act would come into force on such dates as may be notified by the Central Government. As per OMNo. Z16025/72/2023-1511-II dated 02-11-2023 issued by the Ministry of Labour and Employment the code is yet to come into force. The said OM. dated 02-11-23 states that "The Factories Act, 1948 along with 12 other legislations has been subsumed in the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code 2020. The OSH and WC Code 2020 is available on the official website of the Ministry. The Code is yet to come into force."

Section 143 of the said code has repealed the following Acts, effective from the date of notification under section 2(1) as above.

1. The Factories Act, 1948;
2. The Plantations Labour Act, 1951;
3. The Mines Act, 1952;
4. The Working Journalists and other Newspaper Employees (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions Act, 1955;
5. The Working Journalists (Fixation of Rates of Wages) Act, 1958;
6. The Motor Transport Workers Act, 1961;
7. The Beedi and Cigar Workers (Conditions of Employment) Act, 1966;
8. The Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970;
9. The Sales Promotion Employees (Conditions of Service) Act, 1976;
10. The Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1979;
11. The Cine-Workers and Cinema Theater Workers (Regulation of Employment) Act, 1981;
12. The Dock Workers (Safety, Health and Welfare) Act, 1986;
13. The Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996.

It has also been provided that every Chief Inspector, Additional Chief Inspector, Joint Chief Inspector, Deputy Chief Inspector, Inspector and every other officer appointed for the purposes under any of the provisions of the enactments repealed by this Code, shall be deemed to have been appointed under this Code for such purposes under this Code and that notwithstanding repeal under sub-section (1), anything done or any action taken under the enactments so repealed (including any rule, regulation, bye-laws, notification, nomination, appointment, order or direction made thereunder) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Code and shall remain in force to the extent they are not contrary to the provisions of this Code till they are repealed by the Central Government.

To the best of my understanding, since the code has not yet come into force, the provisions of the above-mentioned repealed Acts would still apply. All actions taken under the said Acts would also remain in force even after the code is implemented by notification.

Contributed by Dr. Yashpal Singh, Senior Advisor UPSMA

Do You Know!

Where can sugarcane be grown?

Sugarcane can be grown in tropical areas because it requires a warm and humid climate to thrive. Tropical regions have the ideal temperature range and rainfall patterns that promote the growth of sugarcane.

Quiz No. 2

Which is the largest sugar-producing country in the world?

Answer will be shared in next issue of UPSMA Newsletter

January Quiz with Answer

Who was the first and only lady in sugar industry awarded with Padma Shri?

Ans. Late Smt. Meenakshi Saraogi, awarded the Padma Shri in 1992 for her contribution to Indian industry.

UPSMA Newsletter titled 'Varta' the Dialogue is providing information on sugar, sugar industry and sugar byproducts. We request you to share your thoughts and experience with us through write-ups, success stories, updates, photographs etc. We publish your creative in the next edition of this newsletter. You are requested to send your entries to be published in UPSMA newsletter through mail at **upsma@upsma.org**. The newsletter will be uploaded on UPSMA website.

Disclaimer: Information given in the Newsletter titled 'वार्ता ' are collected from various sources believed to be reliable. However, Team of UPSMA is not liable for ensuring the accuracy, completeness or timelessness of the information. Copyright Reserved @UPSMA